सं. 38/88/2008-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग

* * *

तीसरा तल, लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.

दिनांक : 09 ~~अगस्त~~ जुलाई,2009

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय :- पुन: नियोजित पेंशनभोगियों और नियोजित कुटुम्ब पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत का भुगतान ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियोजित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत को स्वीकृत किया जाना इस समय इस विभाग के दिनांक 2.7.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/73/97-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(जी) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.11.2008 के का.ज्ञा. सं. 3/13/2008-स्था.(वेतन-I) के अनुसार पेंशन की उपेक्षणीय राशि का 1800/-रुपए से 4000/-रु. तक संशोधित किए जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 2.7.1999 के कार्यालय ज्ञापन में दृष्टिगत 1500/-रु. की धनराशि को संशोधित करके 4000/-रु. कर दिया गया है । पुन: नियोजित पेंशनभोगियों/ कुटुम्ब पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत का मंजूरी की अन्य शर्तें वही रहेंगी ।

2. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

3. इन्हें वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 21.4.2009 की यू.ओ. सं. 132/ ई.वी.2009 और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 23.6.2009 की यू.ओ. सं. 3/16/ 2009-स्था.(वेतन-II) द्वारा प्राप्त सम्मति से जारी किया जाता है ।

(एम. पी. सिंह)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

(मानक डाक सूची के अनुसार)